

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि क्रम सं० २२ (1) / 2017-18

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
<p>23-01-18</p> <p>दिन 16/1</p> <p>06/2/18</p>	<p>आवेदिका श्रीमती कांति गुप्ता पति कैलाश कुमार गुप्ता सा० कोल रोड कोलोनी जिला धनबाद ने मौजा नारायणपुर मौजा नं० 13, खाता नं० 08, प्लॉट नं० 337 रकबा 05 कट्टा भूमि के दाखिल खारिज में लिपकीय भुलवश एक दलील का पंजी 11 में दर्ज नहीं हुआ है जिसे अंकित करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख दिनांक 06/2/18 को रखें।</p> <p align="right">अंचल अधिकारी, धनबाद। 06/2/18</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन समर्पित। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा नारायणपुर मौजा नं० 13, खाता नं० 08, प्लॉट नं० 337 रकबा 05 कट्टा का भूमि रैयती खाते की है। निबंधित दलील सं० 8094 / 03.07.11 एवं 6091 दिनांक 03.07.1991 द्वारा खरीदकर जिसका दाखिल खारिज केश सं० 1810 (11) 04-05 द्वारा होकर जमाबंदी सं० 1395 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भुलवश एक दलील सं० 6094 / 03.07.1991 छुट गया है। जिसे पंजी 11 में अंकित करने हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है मौजा नारायणपुर मौजा नं० 13, खाता नं० 08, प्लॉट नं० 337 रकबा 05 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज में दलील सं० 6094 / 03.07.1991 जो छुट गया है जिसे अंकित करने हेतु निदेश दिया जाता है। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="left">अंचल अधिकारी, धनबाद। 06/2/18</p> <p align="right">अंचल अधिकारी, धनबाद। 06/2/18</p>	


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापक _____ दिनांक _____

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 11, धनबाद।

आपके जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि मौजा नारायणपुर
मौजा नं० 13, खाता नं० 08 प्लॉट नं० 337 रकबा 05 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खरिज में दलील
सं० 6091 दिनांक 03.07.91 जो छुट गया है जिसे अंकित करने हेतु निदेश दिया जाता है।


अंचल अधिकारी,

धनबाद।


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापक _____ दिनांक _____

प्रेषित,

श्री अशोक कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 11, धनबाद।

आपके जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि मौजा नारायणपुर
मौजा नं० 13, खाता नं० 08 प्लॉट नं० 337 रकबा 05 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खरिज में दलील
सं० 6091 दिनांक 03.07.91 जो छुट गया है जिसे अंकित करने हेतु निदेश दिया जाता है।


अंचल अधिकारी,

धनबाद।

